

25/10/22

वकील उभापक्ष उपस्थित। वकील
पारी ने निवेदन किया कि वकील
ने अपना वाद आगे नहीं चलाने
कोष्ठ प्रपत्र 023 R1 CPL पेश
किया है, वकील जलियाड़ी ने कोई
आपत्ति नहीं की।

परावकी का अवलोकन किया
गया। दिनांक 5.10.21 को एक प्रपत्र
023 R1 CPL पेश किया गया है जिसके
वादी गण ने कथन किया है कि उनके
व जलियाड़ी गण के अध्यक्ष राजीनामा ले
चुका है, विवाहित आराजी पर वह जलियाड़ी
है कोई क्लेम अब नहीं कर रहे हैं,
और ना ही आपत्ति के करेंगे और
प्रकरण को इसी स्तर पर छोड़ कर
चले दें आरा. विद्रो की अनुमति-वादी
है।

परावकी का अवलोकन किया
वकील अपना दावा खिनी की हल
पर वापिस ले सकते हैं आरा. वकील
को दावा विद्रो की अनुमति दी जाती
है दावा वकील विद्रो के आधार पर
स्वाहित किया जा रहा है परावकी
कंसल्टिंग होकर शक्ति दफ्तर है।

उपस्थित अधिकारी
धर्मपाल (पं.)